न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 36/18 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2018/00130

अनवान्

1. श्रीमती खुमाणी पुत्री हीरा पत्नी शंकर तेली निवासी 754 नाथीघाट मार्ग ब्रहम्पोल अन्दर उदयपुर।
2. श्रीमती नोजी पुत्री हिरा पत्नी हेमराज तेली निवासी बुझडा तहसील गिर्वा।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री स्व. भीमा पिता हेमा तेली निवासी वीरधोलिया तहसील मावली। मृतक
1/1 श्रीमती श्यामु पुत्री भीमा तेली निवासी वीरधोलिया तहसील मावली।
1/2 श्रीमती देउबाई पुत्री भीमा तेली निवासी वीरधोलिया तहसील मावली।
1/3 श्री मांगीलाल पिता भीमा तेली निवासी वीरधोलिया तहसील मावली।
1/4 श्री तुलसीराम पिता भीमा तेली निवासी वीरधोलिया तहसील मावली।
1/5 श्रीमती रामु पुत्री भीमा तेली निवासी वीरधोलिया तहसील मावली।
1/6 श्रीमती सीतादेवी पुत्री भीमा तेली निवासी वीरधोलिया तहसील मावली।
2. श्री रामचन्द्र पिता केसा तेली निवासी वीरधोलिया तहसील मावली।
3. श्री सोहन पिता केसा तेली निवासी वीरधोलिया तहसील मावली।
4. श्री भंवर पिता केसा तेली निवासी वीरधोलिया तहसील मावली।
5. श्री मदन पिता केसा तेली निवासी वीरधोलिया तहसील मावली।
6. श्री मोती पिता केसा तेली निवासी वीरधोलिया तहसील मावली।
7. श्री मोहन पिता केसा तेली निवासी वीरधोलिया तहसील मावली।
8. श्री दौलतराम पिता कमला तेली निवासी वीरधोलिया तहसील मावली। मृतक
8/1 श्रीमती बसन्तीबाई पत्नी दौलतराम तेली निवासी वीरधोलिया तहसील मावली।
8/2 श्री प्रेमशंकर पिता दौलतराम तेली निवासी वीरधोलिया तहसील मावली।
8/3 श्री दिनेश पिता दौलतराम तेली निवासी वीरधोलिया तहसील मावली।
8/4 श्रीमती प्यारीबाई पुत्री दौलतराम तेली निवासी वीरधोलिया तहसील मावली।
8/5 श्रीमती हरकुबाई पुत्री दौलतराम तेली निवासी वीरधोलिया तहसील मावली।
9. उप पंजीयक एवं तहसीलदार मावली तहसील मावली।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री गजेन्द्र नाहर, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री लक्ष्मीलाल रेगर, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 से 7

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:09:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक : 30.04.2025

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा वीरधोलिया तहसील मावली हाल घासा के परिशिष्ट क में वर्णित आराजी नम्बर 1079, 1080, 1081, 1095, 1097, 1106, 1160, 1163, 1167 किता 9 कुल रकबा 25 बीघा 18 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेखों में भीमा पिता हेमा जी 1/2 वां हिस्सा व वरजु बेवा कन्ना 1/2 के हिस्से से रामचन्द्र, सोहन, भंवर, मदन, मोती पिता केसा के दर्ज हैं। परिशिष्ट ख में वर्णित आराजी नम्बर 1085 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि वर्तमान में विपक्षीगण के नाम दर्ज हैं। परिशिष्ट ग में वर्णित आराजी नम्बर 1101 रकबा 19 बिस्वा भूमि वर्तमान में विपक्षीगण के नाम दर्ज हैं। परिशिष्ट घ में वर्णित आराजी नम्बर 1105 रकबा 3 बिस्वा आ.चा. भूमि वर्तमान में विपक्षीगण एवं अन्य के नाम दर्ज हैं। परिशिष्ट ड में वर्णित आराजी नम्बर 1074 रकबा 5 बिस्वा आ.चा. एवं आराजी नम्बर 1075 रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेखों में कमला पिता वरदा 1/2 वां हिस्सा, भीमा पिता हिमा 1/4 वां हिस्सा, रामचन्द्र, सोहन, भंवर, मदन, मोती पिता केसा 1/4 वां हिस्सा ब. तेली सा. उदयपुर के नाम दर्ज हैं। कन्ना पिता सवा, वरजु बेवा कन्ना व केसा पिता कन्ना का निधन हो गया है जिसके वारिसान विपक्षी संख्या 2 से 6 हैं। परिशिष्ट च में वर्णित आराजी नम्बर 1161 रकबा 4 बिस्वा आ.चा. भूमि राजस्व अभिलेखों में कमला पिता वरदा के 2/5 हिस्से से दर्ज है जो नामान्तरकरण संख्या 775 विरासत से कमला के स्थान पर मोहन व दौलतराम के नाम दर्ज हुआ। शेष 3/5 वां हिस्सा विपक्षी संख्या 1 से 6 के नाम दर्ज हैं।
2. यह कि विवादित भूमि प्रार्थीगण की मौरूसी सम्पति होकर, स्व. खेमा जी के वक्त से चली आ रही हैं। स्व. खेमा जी के निधन पर उक्त कृषि भूमि उनके दत्तक पुत्र स्व. हीरा जी जो कि स्व. सवा जी के जायन्दा पुत्र हो कर, उनको खेमा जी द्वारा उनके कोई सन्तान नहीं होने के कारण पारिवारिक रिति–रिवाज के अनुसार दत्तक ग्रहण किया। इस प्रकार कृषि भूमि में उनका हिस्सा स्व. खेमा जी के दत्तक पुत्र श्री हीरा के नाम पर दर्ज हुआ। स्व. हीरा जी के निधन पर भूमि में मगनी के नाम जो कि स्व. खेमा जी की विधवा तथा स्व. हीरा जी की दत्तक माता होने से दर्ज हुई लेकिन तद् समय हीरा जी को दो जायदा पुत्रीया (प्रार्थीगण) भी थी लेकिन उनका नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं किया गया। श्रीमती मगनी के निधन के बाद प्रार्थीगण जो कि हीरा जी की जायन्दा पुत्रीया होने के कारण एवं श्रीमति मगनी के जीवनकाल में उक्त भूमि के बराबर हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Date: 2025.05.26 12:09:15 IST
Reason: SelfAttested

एवं मगनी की मृत्यु के बाद उक्त पूरा ही हिस्सा दर्ज होना चाहिए था लेकिन दर्ज नहीं किया गया। उसका फायदा उठा विपक्षी संख्या 1 के पिता स्व. हीमा व विपक्षी संख्या 2 से 6 के दादा श्री कन्ना जी जो कि स्व. हीरा जी के सगे भाई थे, उन्होने (स्व. खेमा जी के कोई जायन्दा औलाद नहीं होने के कारण उनके द्वारा हीरा जी को पारीवारिक रिति रिवाज के तहत गोद ले लिया) हीरा जी को खेमा जी के गोद जाना बता कर सबसे पहले सवा जो कि कुलिया हिस्सा आधा–आधा अपने नाम कर लिया एवं उसके बाद स्व. खेमा जी एवं उसके बाद उनकी पत्नी श्रीमती मगनी को ला–औलाद फौत होना बता उनका हिस्सा भी अपने नाम करा लिया इस प्रकार विपक्षीगण द्वारा स्व. हीरा जी का जायन्दा अधिकार या उनका गोद अधिकार जो कि उनके बाद उनकी पुत्रियों (प्रार्थीगण) को प्राप्त था। उस स्थान पर ला औलाद फौत होना बता उक्त कृषि भूमि अपने नाम करा ली।

3. यह कि परिशिष्ट क में वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण एक मात्र खातेदार कृषक होकर आधिपत्य में है एवं उन्ही का कब्जा हैं। परिशिष्ट ख की आराजी संख्या 1085 में प्रार्थीगण का /2 हिस्सा तथा परिशिष्ट ग की आराजी संख्या 1101 में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा है व परिशिष्ट घ की आराजी संख्या 1105 रकबा 3 बिस्वा आ.चा. रेट में प्रार्थीगण का 1/10 हिस्सा है तथा परिशिष्ट ड की आराजी संख्या किता 2 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा में प्रार्थीगण का 1/4 हिस्सा है व परिशिष्ट च में वर्णित आराजी संख्या 1161 में प्रार्थीगण का 1/5 हिस्सा हक अधिकार एवं आधिपत्य हैं। इसी हिस्सेनुसार प्रार्थीगण का कब्जा हैं।

4. यह कि विपक्षीगण ने राजस्व अभियान के दौरान पटवारी हल्का एवं उप तहसीलदार को गलत यह सूचना दी कि मगनी ला–औलाद फौत हो गई है तथा गलत सूचना के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 642 खोला जाकर उप तहसीलदार जी मावली द्वारा दिनांक 12.12.2001 को स्वीकृत कराया गया है इसके बाद दिनांक 20.01.2016 को विरासत के आधार पर विपक्षीगण द्वारा गलत तथ्य पेश कर कराये गये गलत इन्द्राजी के तहत अब प्रार्थीगण अपने खातेदारी अधिकारों को जरिये घोषणा कराया जाने का अधिकारी है। साथ ही विपक्षीगण जिन्हे यह पूर्ण ज्ञात है कि उक्त भूमि में प्रार्थीगण का आधा हिस्सा हैं। विपक्षीगण के नाम उक्त भूमि मात्र मिली भगत कर गलत तथ्य पेश कर दर्ज कराई हैं। उसका फायदा उठा पहले तो उनके द्वारा जाति पंचायत का सहारा ले प्रार्थीगण व उसके परिवार को प्रताडित किया एवं उन पर यह दबाव डाला कि वे उक्त मुकदमें को विड्रो कर ले। जाति पंचायत, सामाजिक बहिष्कृत तथा अन्य कृत्य करवा लेने के बावजूद जब वह सफल नहीं हुए तो अब उनके द्वारा आये दिन बाहरी लोगो को लाकर उक्त भूमि विक्रय हेतु दिखाई जा रही है इसी को ले कई भू माफिया व दलाल भी उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:09:15 IST
Reason: SelfAttested

भूमि को ओने पोने दाम में बिना कब्जे के ही विक्रय पत्र पंजीयन करवाने पर आमादा है प्रार्थीगण द्वारा बार बार रोकने पर भी विपक्षीगण अपने कृत्य करने पर आमादा है ऐसे में उनके द्वारा जानबुझकर उक्त वाद वर्णित भूमि को बेह बक्षीस विक्रय अन्तरण कर प्रार्थीगण के हितो पर कठुराघात करना चाहते है ऐसे में विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक हैं।

5. यह कि प्रथम दृष्टया मामला सुविधा संतुलन का बिन्दू भी प्रार्थीगण के हक में पुष्ट है क्योंकि यदि विपक्षीगण उक्त जमीन को राजस्व रेकार्ड में अपना नाम होने का फायदा उठा अन्य दिगर व्यक्ति को किसी भी प्रकार से अन्तरण या ऋण भार ग्रस्त कर, उक्त भूमि पर कब्जा कर अन्य दिगर व्यक्ति या अन्य किसी को बिना प्रार्थीगण का हिस्सा अलग बंटवाडा किये हस्तान्तरित कर देते है या विपक्षी संख्या 9 या 10 विक्रय पत्र पंजीयन कर नामान्तरकरण खोल देते है तो प्रार्थीगण अपनी भूमि से वंचित हो जायेगी, वाद में अनावश्यक पक्षकार बनाने पडेगे, अनावश्यक वाद बाहुल्य बढ़ेगा, जिसका एवजाना सम्भव नहीं होगा ऐसे में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में पुष्ट हो दौराने वाद विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व निम्न आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक जारी फरमावे कि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट क, ख, ग, घ, ड, व च में वर्णित कृषि भूमि को विपक्षीगण बिना प्रार्थीगण के हिस्से को अलग दर्ज करा, बिना विधिक बंटवाडा किये, न तो दिगर व्यक्ति या अन्य किसी को, किसी भी प्रकार से अन्तरण नहीं करे, न किसी प्रकार कि कारतीमारी, परिवर्तन करे या करावे, न ही अपने नौकर, ठेकेदार, मिस्त्री, एजेन्ट के माध्यम से करावे। साथ ही दौराने प्रार्थना पत्र ऐसा कोई कृत्य कर लिया है तो उसे आज कि स्थिति बहाल कराई जावें।

6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1/1 से 1/6, 8/1 से 8/5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। विपक्षी संख्या 2 से 7 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर पूर्व में बन्द किया जा चुका हैं।

7. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 से 7 द्वारा अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:09:15 IST
Reason: SelfAttested

बहस में नामान्तरकरण संख्या 642 व 775 सही पारित होने का कथन कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार हैः—

1. *प्रथम दृष्टया मामला—* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षीगण एवं अन्य सहखातेदार के नाम खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थीगण उक्त भूमि के वर्तमान में खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की मौरूसी सम्पति है मौरूसी सम्पति में हमारा भी हक हिस्सा निहित है। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि को पैतृक सम्पति होकर अपने पिता हीरा के समय से चली आना बताकर हीरा के स्वर्गवास के पश्चात विरासत के आधार पर प्रार्थीगण का नाम दर्ज नहीं होना बताया हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रार्थीगण के दादा खेमा के नाम दर्ज थी एवं खेमा की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थीगण के पिता हीरा के नाम दर्ज हुई। चूंकि उक्त भूमि पैतृक होने से प्रार्थीगण का जन्म से ही अधिकार निहित हैं। पैतृक सम्पति होने से प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

2. *सुविधा का संतुलन—* प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षीगण व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति होने से यदि विपक्षीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो इससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

3. ***सुविधा का संतुलन—*** प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जाने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

9. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि मौजा वीरधोलिया तहसील मावली [illegible] की आराजी नम्बर 1079, 1080, 1081, 1095, 1097, 1106, 1160, 1163, [illegible] कुल रकबा 25 बीघा 18 बिस्वा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:09:15 IST
Reason: SelfAttested

आराजी नम्बर 1085 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, आराजी नम्बर 1101 रकबा 19 बिस्वा, आराजी नम्बर 1105 रकबा 3 बिस्वा आ.चा., आराजी नम्बर 1074 रकबा 5 बिस्वा आ.चा., आराजी नम्बर 1075 रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा, आराजी नम्बर 1161 रकबा 4 बिस्वा आ. चा. भूमि राजस्व रेकार्ड में विपक्षीगण व अन्य सहखातेदार के नाम पर हिस्सेनुसार दर्ज हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रार्थीगण के दादा खेमा के नाम दर्ज थी एवं खेमा की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थीगण के पिता हीरा के नाम दर्ज हुई। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। चूंकि प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति होकर प्रार्थीगण का जन्म से ही हक निहित है। भूमि विपक्षीगण के नाम दर्ज होने से यदि विपक्षीगण को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द, हस्तान्तरित कर देते है तो इससे प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होंगी। प्रकरण में दिनांक 16.04.2018 से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं। अतः ऐसी स्थिति में विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं।

इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय की नजीर **RLW 2005(2) page 219,** में **''राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 – अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करना– अपने पिता के जीवन काल में पिता की पैतृक सम्पति में हिन्दू पुत्र का अधिकार– पुत्र ने घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद दायर किया – भूमि हस्तान्तरण की आशंका – अस्थाई निषेधाज्ञा चाही– अभिनिर्धारित – अपने पिता की पैतृक सम्पति में एक हिन्दू पुत्र का अधिकार होता है और वह उसका विभाजन करा सकता है– अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रयोजन विवाद की विषय वस्तु को अधिकारों के संबंध में निर्णय होने तक वर्तमान स्थिति में बनाये रखना है और आगे किसी संभावित क्षति से सुरक्षा करना है।''** माननीय न्यायालय की उक्त नजीर इस प्रकरण पर हूबहू चस्पा होती है। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये गये हैं। अतः उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:09:15 IST
Reason: SelfAttested

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण तक मौजा वीरधोलिया पटवार हल्का वीरधोलिया तहसील मावली हाल घासा की आराजी नम्बर 1079, 1080, 1081, 1095, 1097, 1106, 1160, 1163, 1167 किता 9 कुल रकबा 25 बीघा 18 बिस्वा, आराजी नम्बर 1085 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, आराजी नम्बर 1101 रकबा 19 बिस्वा, आराजी नम्बर 1105 रकबा 3 बिस्वा आ.चा., आराजी नम्बर 1074 रकबा 5 बिस्वा आ.चा., आराजी नम्बर 1075 रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 1161 रकबा 4 बिस्वा आ.चा. भूमि में विपक्षी संख्या 1 से 8 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि के राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:09:15 IST
Reason: SelfAttested